रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 395] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 1971/श्रावण 7, 1893

No. 395] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 1971/SRAVANA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July 1971

S.O. 2850,—In pursuance of clause (d) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (No. 25 of 1966) the Central Government hereby nominates Shri S. R. Mehta, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, as a member of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, vice Shri G. K. Bhanot and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health number F. 10-1/64-ME(PG), dated the 23rd January, 1964, as amended by Ministry of Health and Family Planning, Works, Housing and Urban Development Notification No. F. 2-63/69-ME(PG), dated the 19th June, 1969.

In the said notification for entry 7 the following entry shall be substituted, namely:—

"7. Shri S. R. Mehta,
Joint Secretary,
Ministry of Finance,
Government of India."

[No. F. 2-147/71-ME(PG).]

PREMA JOHARI, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई 1971

एस० ओ० 2850.—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 52) की धारा 4 के खण्ड (घ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० आर० मेहता, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय को श्री जी० के० भनोट के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सदस्य मनोनीत करते हैं तथा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास एवं नगर विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2-63/69-एम ई (पी० जी०) दिनांक 19 जून, 1969 द्वारा यथा संशोधित भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 10-1/64-ई०एम० दिनांक 23 जनवरी, 1964 में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

कथित अधिसूचना में प्रविष्टि 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, नामत :—

7. श्री एस० आर० मेहता,
संयुक्त सचिव,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार ।

[सं० 2-147/71-एम० ई० (पी०जी०)]

प्रेमा जौहरी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971